HARYANA VIDHAN SABHA

LIST OF BUSINESS FOR THE MEETING OF THE HARYANA VIDHAN SABHA TO BE HELD IN THE HALL OF THE HARYANA VIDHAN SABHA, VIDHAN BHAWAN, CHANDIGARH, ON FRIDAY, THE 20TH AUGUST, 2021 AT 2.00 P.M.

I. OBITUARY REFERENCES.

A MINISTER to make reference to the deaths of the late:-

1. Shri Jagannath Pahadia, former Governor of Haryana.
2. Shri Satbir Singh Kadian, former Speaker of Haryana Legislative Assembly.
3. Dr. Kamla Verma, former Minister of Haryana.
4. Professor Maha Singh, former Deputy Minister of Haryana.
5. Rao Dharam Pal, former Minister of State.
6. Shri Bahadur Singh, former Minister of State.
7. Shri Kitab Singh, former Member of Haryana Legislative Assembly.
8. Shri Dariyao Singh Rajora, former Member of Haryana Legislative Assembly.
9. Chaudhary Zile Singh, former Member of Haryana Legislative Assembly.
10. Shri Puran Singh, former Member of Haryana Legislative Assembly.
11. 'The Flying Sikh' Shri Milkha Singh.
12. Freedom Fighters of Haryana.
13. Martyrs of Haryana.
14. A tribute to Corona Warriors.
15. Others.

II. QUESTIONS.

Questions entered in the separate list to be asked and answers given.

III. FIRST REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE.

(i) THE SPEAKER	to report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various business.
(ii) A MEMBER OF THE COMMITTEE	to move that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

IV. CALLING ATTENTION NOTICE

Calling Attention Notice No.7

Shri Varun Chaudhary, MLA - to call the attention of the Minister of Power regarding pending tube-well connections.

V. PAPERS TO BE LAID/RE-LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE.

1. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.11/GST-2, dated the 12th March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

2. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.12/GST-2, dated the 12th March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

3. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.13/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

4. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.14/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

5. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.15/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

6. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.16/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

7. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.17/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

8. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.18/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

9. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.19/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

10. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.20/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

11. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.21/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

12. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.22/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

13. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.23/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

14. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.24/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

15. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.25/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

16. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.35/GST-2, dated the 16th April, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

17. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.36/GST-2, dated the 16th April, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

18. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.37/GST-2, dated the 16th April, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

19. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.38/GST-2, dated the 16th April, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

20. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.39/GST-2, dated the 16th April, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

21. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.40/GST-2, dated the 16th April, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

22. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.41/GST-2, dated the 29th April, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

23. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.43/GST-2, dated the 07th May, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

24. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.44/GST-2, dated the 21st May, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

25. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.45/GST-2, dated the 21st May, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

26. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.46/GST-2, dated the 27th May, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

27. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.47/GST-2, dated the 27th May, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

28. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.48/GST-2, dated the 27th May, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

29. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.49/GST-2, dated the 27th May, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

30. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.50/GST-2, dated the 23rd June, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

31. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.51/GST-2, dated the 30th June, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

32. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.52/GST-2, dated the 30th June, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

33. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.53/GST-2, dated the 30th June, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

34. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.54/GST-2, dated the 6th July, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

35. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.55/GST-2, dated the 6th July, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

36. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.56/GST-2, dated the 21st July, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

37. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.57/GST-2, dated the 21st July, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

38. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.58/GST-2, dated the 21st July, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

39. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.59/GST-2, dated the 21st July, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

40. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.60/GST-2, dated the 21st July, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

41. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.61/GST-2, dated the 21st July, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

42. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.62/GST-2, dated the 21st July, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

43. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.64/GST-2, dated the 27th July, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

44. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.69/GST-2, dated the 7th August, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

45. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 70/GST-2, dated the 26th August, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

46. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 71/GST-2, dated the 26th August, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

47. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 72/GST-2, dated the 27th August, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

48. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 74/GST-2, dated the 11th September, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

49. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 75/GST-2, dated the 11th September, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

50. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 76/GST-2, dated the 16th September, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

51. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 77/GST-2, dated the 21st September, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

52. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 79/GST-2, dated the 1st October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

53. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 83/GST-2, dated the 12th October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

54. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 84/GST-2, dated the 12th October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

55. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 85/GST-2, dated the 12th October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

56. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 86/GST-2, dated the 20th October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

57. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 87/GST-2, dated the 20th October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

58. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 88/GST-2, dated the 20October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

59. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 89/GST-2, dated the 20th October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

60. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 90/GST-2, dated the 28th October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

61. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 91/GST-2, dated the 28th October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

62. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 92/GST-2, dated the 28th October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

63. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.93/GST-2, dated the 17th November, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

64. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.94/GST-2, dated the 17th November, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

65. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.95/GST-2, dated the 17th November, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

66. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.96/GST-2, dated the 8th December, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

67. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.97/GST-2, dated the 8th December, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

68. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.98/GST-2, dated the 8th December, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

69. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.99/GST-2, dated the 8th December, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

70. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.100/GST-2, dated the 8th December, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

71. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.101/GST-2, dated the 15th December, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

72. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.102/GST-2, dated the 15th December, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

73. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.103/GST-2, dated the 15th December, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

74. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.01/GST-2, dated the 18th January, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

75. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.02/GST-2, dated the 22th January, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

76. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.03/GST-2, dated the 22th January, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

77. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.04/GST-2, dated the 22th January, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

78. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.05/GST-2, dated the 3rd February, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

79. A MINISTER to re-lay on the Table the Personnel Department Notification No. G.S.R.5/Const./Art.320/2021, dated the 1st March, 2021 regarding amendment in the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320 (5) of the Constitution of India.

80. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.08/GST-2, dated the 22nd March, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

81. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.09/GST-2, dated the 22nd March, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

82. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.10/GST-2, dated the 31st March, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

83. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.11/GST-2, dated the 15th April, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

84. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.12/GST-2, dated the 19th April, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

85. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.13/GST-2, dated the 21st May, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

86. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.14/GST-2, dated the 21st May, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

87. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.15/GST-2, dated the 21st May, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

88. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.16/GST-2, dated the 21st May, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

89. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.17/GST-2, dated the 21st May, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

90. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.18/GST-2, dated the 21st May, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

91. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.19/GST-2, dated the 21st May, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

92. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.28/GST-2, dated the 21st June, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

93. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.29/GST-2, dated the 21st June, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

94. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.30/GST-2, dated the 21st June, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

95. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.31/GST-2, dated the 21st June, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

96. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.32/GST-2, dated the 21st June, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

97. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.33/GST-2, dated the 1st July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

98. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.34/GST-2, dated the 1st July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

99. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.35/GST-2, dated the 1st July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

100. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.36/GST-2, dated the 1st July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

101. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.37/GST-2, dated the 1st July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

102. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.38/GST-2, dated the 1st July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

103. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.39/GST-2, dated the 1st July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

104. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.40/GST-2, dated the 1st July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

105. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.41/GST-2, dated the 1st July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

106. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.42/GST-2, dated the 6th July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

107. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.43/GST-2, dated the 6th July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

108. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.44/GST-2, dated the 26th July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

109. A MINISTER to lay on the Table the Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department Notification No. S.O.33/C.A. 35/2019/S. 102/2021, dated the 23rd June, 2021, as required under section 105(2) of the Consumer Protection Act, 2019.

110. A MINISTER to lay on the Table the Power Department Notification /Regulation No. HERC/52/2020, dated the 18th September, 2020, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

111. A MINISTER to lay on the Table the Power Department Notification /Regulation No. HERC/10/2005/4th Amendment/2021, dated the 11th January, 2021, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

112. A MINISTER to lay on the Table the Power Department Notification /Regulation No. HERC/10/2005/4th Amendment/2021 (No. 4672/HERC/Tariff), dated the 1st February, 2021, as required under section 182 of the Electricity Act, 2003.

113. A MINISTER to lay on the Table the Town & Country Planning Department Notification No. Misc. 1026/2021/8828, dated the 5th April, 2021, as required under section 24 (3) of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975.

114. A MINISTER to lay on the Table the Administrative Reforms Department Notification No.05/52/2016-1AR, dated the 12th April, 2021, as required under Section 29(2) of the Right to Information Act, 2005.

115. A MINISTER to lay on the Table the Annual Report of the Haryana Human Rights Commission, Chandigarh for the year 2019-2020, as required under section 28 (2) of the Protection of Human Rights Act, 1993.

116. A MINISTER to lay on the Table the 42nd Annual Report of Haryana Land Reclamation and Development Corporation Limited for the year 2015-2016, as required under section 619-A (3) (b) of the Companies Act, 1956.

VI. LEGISLATIVE BUSINESS.

(Bills to be introduced)

1.	The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Area (Special Provisions) Amendment Bill, 2021	A MINISTER	to move for leave to introduce the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Area (Special Provisions) Amendment Bill; Also to introduce the Bill.
2.	Maharishi Balmiki Sanskrit University, Kaithal (Amendment) Bill, 2021	A MINISTER	to move for leave to introduce Maharishi Balmiki Sanskrit University, Kaithal (Amendment) Bill; Also to introduce the Bill.
3.	The Haryana Lokayukta (Amendment) Bill, 2021	A MINISTER	to move for leave to introduce the Haryana Lokayukta (Amendment) Bill; Also to introduce the Bill.
4.	The Haryana Enterprises Promotion (Second Amendment) Bill, 2021	A MINISTER	to move for leave to introduce the Haryana Enterprises Promotion (Second Amendment) Bill; Also to introduce the Bill.
5.	Pandit Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak (Amendment) Bill, 2021	A MINISTER	to move for leave to introduce Pandit Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak (Amendment) Bill; Also to introduce the Bill.
6.	The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Haryana Amendment) Bill, 2021	A MINISTER	to move for leave to introduce the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Haryana Amendment) Bill; Also to introduce the Bill.

CHANDIGARH:
THE 19TH AUGUST, 2021.

RAJENDER KUMAR NANDAL,
SECRETARY.

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 20 अगस्त, 2021 को 02.00 बजे मध्याह्न–पश्चात् विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. शोक प्रस्ताव

एक मंत्री स्वर्गीयः–

1. श्री जगन्नाथ पहाडिया, हरियाणा के भूतपूर्व राज्यपाल;
2. श्री सतबीर सिंह कादियान, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष;
3. डॉ० कमला वर्मा, हरियाणा की भूतपूर्व मंत्री;
4. प्रोफेसर महा सिंह, हरियाणा के भूतपूर्व उप मंत्री ;
5. राव धर्मपाल, भूतपूर्व राज्य मंत्री;
6. श्री बहादुर सिंह, भूतपूर्व राज्य मंत्री;
7. श्री किताब सिंह, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य;
8. श्री दरियाव सिंह राजौरा, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य;
9. चौधरी जिले सिंह, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य;
10. श्री पूर्ण सिंह, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य;
11. 'फ्लाइंग सिख' श्री मिल्खा सिंह;
12. हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी;
13. हरियाणा के शहीद;
14. कोरोना योद्धाओं को श्रद्धाजंलि;
15. अन्य।

के देहावसान का उल्लेख करेंगे।

II. प्रश्न

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

III. कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट

(i)	**अध्यक्ष**	विभिन्न कार्य के संबंध में कार्य सलाहकार समिति द्वारा निश्चित की गई समय सारणी प्रतिवेदित करेंगे।
(ii)	**समिति के एक सदस्य**	प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

IV. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचना।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–7

श्री वरूण चौधरी, एम.एल.ए. – लंबित नल–कूप कनैक्शनों से संबंधित बिजली मंत्री का ध्यानाकर्षण करने के लिए।

V. सदन की मेज पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज–पत्र।

1.	**एक मंत्री**	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 11/जी.एस.टी–2, दिनांकित 12 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
2.	**एक मंत्री**	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 12/जी.एस.टी–2, दिनांकित 12 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

3. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 13/जी.एस. टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 पर पुनः रखेंगे।

4. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 14/जी.एस. टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

5. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 15/जी.एस. टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

6. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 16/जी.एस. टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

7. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 17/जी.एस. टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

8. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 18/जी.एस. टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

9. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 19/जी.एस. टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

10. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 20/जी.एस. टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

11. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 21/जी.एस. टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

12. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 22/जी.एस. टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

13. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 23/जी.एस. टी–2 दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

14. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 24/जी.एस. टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

15. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 25/जी.एस. टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

16. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 35/जी.एस. टी–2, दिनांकित 16 अप्रैल, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

17. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 36/जी.एस. टी–2, दिनांकित 16 अप्रैल, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

18. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 37/जी.एस. टी–2, दिनांकित 16 अप्रैल, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

19. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 38/जी.एस. टी–2, दिनांकित 16 अप्रैल, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

20. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 39/जी.एस. टी–2, दिनांकित 16 अप्रैल, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

21. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 40/जी.एस. टी–2, दिनांकित 16 अप्रैल, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

22. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 41/जी.एस. टी–2, दिनांकित 29 अप्रैल, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

23. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 43/जी.एस. टी–2, दिनांकित 07 मई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

24. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 44/जी.एस. टी–2, दिनांकित 21 मई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

25. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 45/जी.एस. टी–2, दिनांकित 21 मई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

26. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 46/जी.एस. टी–2, दिनांकित 27 मई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

27. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 47/जी.एस. टी–2, दिनांकित 27 मई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

28. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 48/जी.एस. टी–2, दिनांकित 27 मई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

29. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 49/जी.एस. टी–2, दिनांकित 27 मई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

30. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 50/जी.एस. टी–2, दिनांकित 23 जून, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

31. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 51/जी.एस. टी–2, दिनांकित 30 जून, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

32. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 52/जी.एस. टी–2, दिनांकित 30 जून, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

33. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53/जी.एस. टी–2, दिनांकित 30 जून, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

34. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 54/जी.एस.टी–2, दिनांकित 06 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

35. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 55/जी.एस.टी–2, दिनांकित 06 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

36. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

37. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 57/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

38. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 58/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

39. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 59/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

40. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 60/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

41. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 61/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

42. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 62/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

43. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 64/जी.एस.टी–2, दिनांकित 27 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

44. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 69/जी.एस.टी–2, दिनांकित 07 अगस्त, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

45. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 70/जी.एस.टी–2, दिनांकित 26 अगस्त, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

46. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 71/जी.एस.टी–2, दिनांकित 26 अगस्त, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

47. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 72/जी.एस.टी–2, दिनांकित 27 अगस्त, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

48. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 74/जी.एस.टी–2, दिनांकित 11 सितम्बर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

49. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 75/जी.एस.टी–2, दिनांकित 11 सितम्बर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

50. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 76/जी.एस. टी–2, दिनांकित 16 सितम्बर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

51. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 77/जी.एस. टी–2, दिनांकित 21 सितम्बर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

52. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 79/जी.एस. टी–2, दिनांकित 1 अक्तूबर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

53. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 83/जी.एस. टी–2, दिनांकित 12 अक्तूबर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

54. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 84/जी.एस. टी–2, दिनांकित 12 अक्तूबर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

55. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 85/जी.एस. टी–2, दिनांकित 12 अक्तूबर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

56. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 86/जी.एस. टी–2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

57. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 87/जी.एस. टी–2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

58. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 88/जी.एस. टी–2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

59. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 89/जी.एस. टी–2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

60. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 90/जी.एस. टी–2, दिनांकित 28 अक्तूबर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

61. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 91/जी.एस. टी–2, दिनांकित 28 अक्तूबर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

62. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 92/जी.एस. टी–2, दिनांकित 28 अक्तूबर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

63. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 93/जी.एस. टी–2, दिनांकित 17 नवम्बर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

64. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 94/जी.एस. टी–2, दिनांकित 17 नवम्बर, 2020 मेज पर पुनःरखेंगे।

65. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 95/जी.एस. टी–2, दिनांकित 17 नवम्बर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

66. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 96/जी.एस. टी–2, दिनांकित 08 दिसम्बर, 2020 मेज पर पुनःरखेंगे।

67. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 97/जी.एस. टी–2, दिनांकित 08 दिसम्बर, 2020 मेज पर पुनःरखेंगे।

68. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 98/जी.एस. टी–2, दिनांकित 08 दिसम्बर, 2020 मेज पर पुनःरखेंगे।

69. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 99/जी.एस. टी–2, दिनांकित 08 दिसम्बर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

70. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 100/जी.एस. टी–2, दिनांकित 08 दिसम्बर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

71. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 101/जी.एस. टी–2, दिनांकित 15 दिसम्बर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

72. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 102/जी.एस. टी–2, दिनांकित 15 दिसम्बर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

73. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 103/जी.एस. टी–2, दिनांकित 15 दिसम्बर, 2020 मेज पर पुनःरखेंगे।

74. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 01/जी.एस. टी–2, दिनांकित 18 जनवरी, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।

75. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 02/जी.एस. टी–2, दिनांकित 22 जनवरी, 2021 मेज पर पुनःरखेंगे।

76. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 03/जी.एस. टी–2, दिनांकित 22 जनवरी, 2021 मेज पर पुनःरखेंगे।

77. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 04/जी.एस. टी–2 दिनांकित 22 जनवरी, 2021 मेज पर पुनःरखेंगे।

78. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 05/जी.एस. टी–2, दिनांकित 03 फरवरी, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।

79. **एक मंत्री** भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 (5) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, हरियाणा लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियमावली, 1973 में संशोधन के संबंध में कार्मिक विभाग अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.5/कांस्ट./आर्ट. 320/2021, दिनांकित 01 मार्च, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।

80. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 08/जी.एस. टी–2, दिनांकित 22 मार्च, 2021 मेज पर रखेंगे।

81. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 09/जी.एस. टी–2, दिनांकित 22 मार्च, 2021 मेज पर रखेंगे।

82. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 10/जी.एस. टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2021 मेज पर रखेंगे।

83. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 11/जी.एस. टी–2, दिनांकित 15 अप्रैल, 2021 मेज पर रखेंगे।

84. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 12/जी.एस. टी–2, दिनांकित 19 अप्रैल, 2021 मेज पर रखेंगे।

85. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 13/जी.एस. टी–2, दिनांकित 21 मई, 2021 मेज पर रखेंगे।

86. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 14/जी.एस. टी–2, दिनांकित 21 मई, 2021 मेज पर रखेंगे।

87. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 15/जी.एस. टी–2, दिनांकित 21 मई, 2021 मेज पर रखेंगे।

88. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 16/जी.एस. टी–2, दिनांकित 21 मई, 2021 मेज पर रखेंगे।

89. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 17/जी.एस. टी–2, दिनांकित 21 मई, 2021 मेज पर रखेंगे।

90. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 18/जी.एस. टी–2, दिनांकित 21 मई, 2021 मेज पर रखेंगे।

91. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 19/जी.एस. टी–2, दिनांकित 21 मई, 2021 मेज पर रखेंगे।

92. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 28/जी.एस. टी–2, दिनांकित 21 जून, 2021 मेज पर रखेंगे।

93. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 29/जी.एस. टी–2, दिनांकित 21 जून, 2021 मेज पर रखेंगे।

94. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 30/जी.एस. टी–2, दिनांकित 21 जून, 2021 मेज पर रखेंगे।

95. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 31/जी.एस. टी–2, दिनांकित 21 जून, 2021 मेज पर रखेंगे।

96. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 32/जी.एस. टी–2, दिनांकित 21 जून, 2021 मेज पर रखेंगे।

97. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 33/जी.एस. टी–2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021 मेज पर रखेंगे।

98. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 34/जी.एस. टी–2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021 मेज पर रखेंगे।

99. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 35/जी.एस. टी–2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021 मेज पर रखेंगे।

100. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 36/जी.एस. टी–2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021 मेज पर रखेंगे।

101. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 37/जी.एस. टी–2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021 मेज पर रखेंगे।

102. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 38/जी.एस. टी–2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021 मेज पर रखेंगे।

103. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 39/जी.एस. टी–2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021 मेज पर रखेंगे।

104. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 40/जी.एस. टी–2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021 मेज पर रखेंगे।

105. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 41/जी.एस. टी–2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021 मेज पर रखेंगे।

106. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 42/जी.एस. टी–2, दिनांकित 06 जुलाई, 2021 मेज पर रखेंगे।

107. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 43/जी.एस. टी–2, दिनांकित 06 जुलाई, 2021 मेज पर रखेंगे।

108. **एक मंत्री** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 44/जी.जी.एस. टी–2, दिनांकित 26 जुलाई, 2021 मेज पर रखेंगे।

109. **एक मंत्री** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग अधिसूचना संख्या एस.ओ. 33/सी.ए. 35/2019/एस. 102/2021 दिनांकित 23 जून, 2021 मेज पर रखेंगे।

110. **एक मंत्री** बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार बिजली विभाग अधिसूचना/विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी./52/2020, दिनांकित 18 सितम्बर, 2020 मेज़ पर रखेंगे।

111. **एक मंत्री** बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार बिजली विभाग अधिसूचना/विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी./10/2005, चतुर्थ संशोधन, 2021, दिनांकित 11 जनवरी, 2021 मेज़ पर रखेंगे।

112. **एक मंत्री** बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार बिजली विभाग अधिसूचना/विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी./10/2005, चतुर्थ संशोधन, 2021 (संख्या 4672/एच.ई.आर.सी./टैरिफ), दिनांकित 01 फरवरी, 2021 मेज़ पर रखेंगे।

113. **एक मंत्री** हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 24 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना विविध 1026/2021/8828, दिनांकित 05 अप्रैल, 2021 मेज पर रखेंगे।

114. **एक मंत्री** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 29 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार प्रशासकीय सुधार विभाग अधिसूचना संख्या 05/52/2016–1 ए आर, दिनांकित 12 अप्रैल, 2021, मेज पर रखेंगे।

115. **एक मंत्री** मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1993 की धारा 28 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2019–2020 के लिए हरियाणा मानव अधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

116. **एक मंत्री** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–क (3) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2015–2016 के लिए हरियाणा भूमि सूधार तथा विकास निगम लिमिटेड की 42वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

VI. विधायी कार्य

(पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक)

1. हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक, 2021.	**एक मंत्री**	हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख–सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे; विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे;
2. महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल (संशोधन) विधेयक, 2021.	**एक मंत्री**	महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे; विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे;
3. हरियाणा लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2021.	**एक मंत्री**	हरियाणा लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे; विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे;
4. हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2021.	**एक मंत्री**	हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे; विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे;

5.	पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक, 2021.	एक मंत्री	पंडित लखमी चन्द राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे; विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे।
6.	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021	एक मंत्री	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे; विधेयक पुरःस्थापित भी करेंगे;

राजेन्द्र कुमार नांदल,
सचिव।

चण्डीगढ़:
19 अगस्त, 2021.